



2026:AHC:54872

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत -
क्रमांक 1959 वर्ष 2026

शंभू नाथ पटेल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपरीत
पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

:अमरनाथ त्रिपाठी

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

:जी. ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अमरनाथ त्रिपाठी और राज्य की ओर से श्री बीपी मौर्य को सुना एवं रिकॉर्ड का अध्ययन किया।
2. यह आवेदन आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477-ए, 120-बी, 34 के तहत केस क्राइम नंबर 82/2012, पुलिस स्टेशन जलालपुर, जिला जौनपुर में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी बताया गया है कि सह-आरोपी हरिश्चंद्र मौर्य उर्फ हरिश्चंद्र मौर्य को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2025 को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या 8729/2025 में पारित आदेश के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माध्यम से अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। यह भी बताया गया है कि आवेदक एक सार्वजनिक वितरण विभाग (पीडीएस) दुकान का मालिक है, जबकि सह-आरोपी लेखा क्लर्क है। यह भी बताया गया है कि घटना वर्ष 2004-05 में घटी थी और प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2013 में दर्ज की गई थी और जांच अभी भी जारी है। यह भी बताया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी बताया गया है कि आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर वह उपस्थित होगा। यह कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जांच में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है।

5. सह-आरोपी हरिश्चंद्र मौर्य उर्फ हरिश्चंद्र मौर्य को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2025 को आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस संख्या 8729/2025 में पारित आदेश के माध्यम से अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। यह भी निवेदन है कि आवेदक एक सार्वजनिक वितरण विभाग (पीडीएस) दुकान का मालिक है, जबकि सह-आरोपी लेखा क्लर्क है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, घटना वर्ष 2004-05 में घटी बताई जाती है, हालांकि, प्रथम सूचना रिपोर्ट वर्ष 2013 में दर्ज की गई थी और जांच अभी भी जारी है। यह भी निवेदन है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. इस मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है।

9. उपरोक्त मामले में आरोपी **शंभू नाथ पटेल** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसे छूट न दी गई हो;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक मुकदमे की सुनवाई के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ सकता है।

10. यदि इनमें से किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

18 मार्च, 2026

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।